SETH BIHARI LAL CHHABRA GOVT. COLLEGE, ANOOPGARH

छात्र, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आचार संहिता

1. छात्रों के लिए आचार			
संहिता			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		
2. शिक्षकों के लिए आचार			
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
3. गैर-शिक्षण कर्मचारियों	•		
सहिता		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

1. छात्रों के लिए आचार संहिता:

सभी छात्रों को संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोई छात्र नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है तो संस्थान प्राधिकरण अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। छात्रों को आचार संहिता का पालन करने और एक छात्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सलाह दी जाती है। छात्रों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है:

- 1. कक्षाएं सुबह 10.00 बजे से शुरू होती हैं और शाम 5.00 बजे तक जारी रह सकती हैं। छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए सुबह 9.50 बजे तक संस्थान आने की सलाह दी जाती है।
- 2. प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र परिसर के अंदर ले जाना चाहिए। इसका कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई का नेतृत्व करेगा।
- 3. छात्रों को संस्थान परिसर को साफ-सुथरा रखने में मदद करनी चाहिए।
- 4. व्याख्यान के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग सख्त वर्जित है। इसका कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई का नेतृत्व करेगा।
- 5. छात्रों से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित सूचनाओं /परिपत्रों को पढ़ने की अपेक्षा की जाती है।
- 6. परिसर में थूकने, धूम्रपान करने और कागज के टुकड़े फेंकने से बचना चाहिए।

- 7. संस्थान परिसर या संपत्ति की वस्तुओं का दुरुपयोग या अनाधिकृत उपयोग, जिसमें कंप्यूटर का दुरुपयोग, पुस्तकालय का दुरुपयोग आदि शामिल हैं, अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- 8. छात्रों को किसी भी प्रकार की रैगिंग गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। इसका कोई भी उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालय और समय-समय पर किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के दिशानिर्देशों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा।
- 9. किसी भी प्रकार की हिंसा और यौन उत्पीड़न के सभी कृत्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 10. कोई अन्य कार्य जिसे प्रधानाचार्य/शिक्षक या कॉलेज के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा अनुशासन और आचरण के उल्लंघन का कार्य माना जा सकता है।
- 11. शिक्षक समय-समय पर कॉलेज शिक्षा राजस्थान/अन्य शीर्ष निकायों द्वारा निर्धारित आचार संहिता/आचरण का पालन करेंगे।
- 12. संस्थान व्यवहारिक मानकों को लागू करके एक सुरक्षित और कुशल जलवायु को बढ़ावा देने में विश्वास करता है। सभी छात्रों को शैक्षणिक अखंडता बनाए रखनी चाहिए, सभी व्यक्तियों और उनके अधिकारों और संपत्ति और दूसरों की सुरक्षा का सम्मान करना चाहिए; वगैरह।

निम्नलिखित गतिविधियाँ सख्त वर्जित हैं

- 13 जानबूझकर संस्थान की संपत्ति या अन्य छात्रों और/या संकाय सदस्यों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना
- 14. कक्षा कक्ष में या संस्थान द्वारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम में कोई विघटनकारी गतिविधि
- 15 कानून या नीति के विपरीत किसी भी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या संभावित हथियार, आतिशबाजी को अनिधकृत रूप से रखना, ले जाना या उपयोग करना।
- 16 अनिधकृत कब्जे या हानिकारक रसायनों और प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग
- 17 संस्थान के परिसर में धूम्रपान करना
- 18 संस्थान में शराब रखना, उपभोग करना, वितरण करना, बेचना और/या संस्थान के परिसर में खाली बोतलें फेंकना।
- 19 ओ-पार्किंग क्षेत्र या अन्य प्रकार के वाहनों की पार्किंग के लिए चिह्नित क्षेत्र में वाहन पार्क करना
- 20 परिसर में तेज गति से वाहन चलाना, जिससे दूसरों को कोई असुविधा हो, प्रतिबंधित है।
- 21 छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान के अधिकारियों की अनुमति के बिना मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संस्थान की ओर से बातचीत न करें या प्रति पुत्र मीडिया को परिसर में आमंत्रित न करें।
- 22 छात्रों को पूर्व अनुमित के बिना परिसर में मीडिया को किसी भी गतिविधि के ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग प्रदान करने की अनुमित नहीं है।

नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए सजा:

अनुशासनहीनता या कदाचार के किसी भी कृत्य और संस्थान के नियमों और विनियमों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी किसी भी छात्र पर निम्नलिखित में से कोई भी दंड लगा सकता है।

- 1. विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने से वंचित करना।
- 2. आंतरिक अंकों की कटौती।
- 3. संस्थान से निष्कासन।
- 4. परिणाम रोकना।
- 5. पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करना।
- 6. एंटी रैगिंग एक आपराधिक अपराध है

रैगिंग निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है:

- 1. किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा कोई भी आचरण, चाहे बोले गए शब्दों से या लिखित रूप से या किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र के साथ छेड़खानी, व्यवहार या व्यवहार करने का प्रभाव हो,
- 2. किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता गतिविधियों में शामिल होना जो झुंझलाहट, किठनाई, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण बनता है या होने की संभावना है या किसी नए या किसी अन्य छात्र में भय या आशंका पैदा करता है.
- 3. किसी भी छात्र को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए कहना, जो वह छात्र सामान्य रूप से नहीं करेगा और जिसका प्रभाव उस फ्रेशर के शरीर या मानस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शर्म, या पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या पैदा करने का हो। कोई अन्य छात्र,
- 4. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य, जिसमें इसके सभी प्रकार शामिल हैं: यौन शोषण, समलैंगिक हमले, कपड़े उतारना, अश्लील और भद्दी हरकतें करना, इशारे करना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना या स्वास्थ्य या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा,
- 5. बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा कोई भी कार्य या दुर्व्यवहार जिसमें फ्रेशर या किसी अन्य छात्र को असुविधा में सिक्रय रूप से या निष्क्रिय रूप से भाग लेने से विकृत आनंद, विचित्र या परपीड़क रोमांच शामिल होगा।
- 6. कोई भी कार्य जो किसी फ्रेशर या किसी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है या बिना किसी नए या किसी अन्य छात्र पर एक छात्र द्वारा शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता दिखाने के इरादे से या उसके बिना।

रैगिंग के नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए सजा:

- 1. प्रवेश रद्द करना,
- 2. पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करना,

एंटी रैगिंग कमेटी व स्क्वॉड : कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है। रैगिंग के मामले में सभी छात्रों को बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. शिक्षकों के लिए आचार संहिता:

सभी संकाय सदस्यों से अच्छे आचरण का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है ताकि छात्र अपने शिक्षकों को अपना आदर्श मान सकें। संकाय सदस्यों के लिए आचार संहिता निम्नलिखित हैं:

- 1. सभी संकाय सदस्यों को समय की पाबंदी, ईमानदारी और पेशेवर नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए।
- 2. प्रत्येक संकाय सदस्य समय-समय पर कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगा।
- 3. प्रत्येक संकाय सदस्य को संस्थान के समय से कम से कम 10 मिनट पहले कॉलेज को रिपोर्ट करना चाहिए।
- 4. सभी संकाय सदस्यों को उन्हें आवंटित विषयों को लेने के लिए उत्साहित होना चाहिए।
- 5. सभी संकाय सदस्यों को कक्षाओं के शुरू होने से काफी पहले एक पाठ/शिक्षण योजना, नोट्स और अकादिमक फ़ाइल तैयार करनी चाहिए।
- 6. अभिभावक संकाय योजना का पालन किया जाना चाहिए और जीएफएम शिक्षक को छात्रों के समूह का मार्गदर्शन, प्रेरणा, परामर्श और उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन की निगरानी करके उचित देखभाल करनी चाहिए।
- 7. प्रत्येक संकाय सदस्य को नियमित कक्षाएं और प्रायोगिक संचालित करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और जब भी आवश्यक हो अतिरिक्त कक्षाएं भी लेनी चाहिए।
- 8. प्रत्येक संकाय सदस्य अपनी राय व्यक्त करने में छात्र के अधिकार और सम्मान का सम्मान करेगा।
- 9. प्रत्येक संकाय सदस्य छात्रों के साथ उनके धर्म, जाति, आर्थिक, सामाजिक और भौतिक पहचान की परवाह किए बिना निष्पक्ष व्यवहार करेगा।
- 10. कोई भी संकाय सदस्य परिसर के भीतर मर्यादा या नैतिकता का उल्लंघन करने वाले किसी भी तरीके से कार्य नहीं करेगा।
- 11. प्रत्येक संकाय सदस्यों को सरकार/संस्थागत नीतियों और प्रथाओं के भीतर काम करना चाहिए ताकि संस्थान/सरकार के दृष्टिकोण और मिशन को पूरा किया जा सके।

- 12. सभी संकाय सदस्यों को लिंग/लैंगिकता/उम्र/वैवाहिक स्थिति से संबंधित मौजूदा विधायी मानदंडों के आधार पर उत्पीड़न या गैरकानूनी भेदभाव से बचना चाहिए।
- 3. गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आचार संहिता:
- 13. संस्थान में कार्यरत प्रत्येक स्टाफ सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार कुशलतापूर्वक और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। राजस्थान का।
- 14. सभी स्टाफ सदस्यों को पेशेवर व्यवहार के उच्चतम संभव मानकों को प्रदर्शित करना चाहिए।
- 15. सभी स्टाफ सदस्य अपने काम के प्रति समय के पाबंद और अनुशासित होने चाहिए।
- 16. प्रत्येक स्टाफ सदस्य छात्र और स्टाफ रिकॉर्ड और अन्य संवेदनशील मामलों के संबंध में गोपनीयता के उचित स्तर को बनाए रखेगा।
- 17. प्रत्येक स्टाफ सदस्यों को छात्रों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- 18. सभी स्टाफ सदस्यों को ड्रेस, सामान्य शिष्टाचार आदि के मानकों के माध्यम से संस्थान की छवि को बनाए रखना चाहिए।
- 19. सभी स्टाफ सदस्यों को दूसरों के अधिकारों और विचारों का सम्मान करना चाहिए।
- 20. प्रत्येक कर्मचारी सदस्य को कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सभी मानदंडों और नौकरी विवरण का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना चाहिए।
- 21. सभी स्टाफ सदस्यों को जाति / लिंग / लैंगिकता / आयु / वैवाहिक स्थिति से संबंधित मौजूदा विधायी मानदंडों के आधार पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या गैरकानूनी भेदभाव से बचना चाहिए।

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस, मेमो, जांच समिति आदि या सक्षम प्राधिकारी के अनुसार किसी अन्य कार्रवाई के अधीन है।

SETH BIHARI LAL CHHABRA GOVT. COLLEGE, ANOOPGARH

Code of Conduct for Student, Teachers, & Non-teaching Staff

1. Code of Conduct for Students.		
2 Code of Conduct for Teachers		
2. code of conduct for reachers.		
3. Code of Conduct for Non-Teac	thing Staff	

1. Code of Conduct for Students:

All students must abide by the rules and regulations of the Institute. The Institute authority may take disciplinary action if any student violates the rules and regulations. Students are advised to adhere to the code of conduct and discharge their responsibilities as a student. Students are required to follow following rules:

1. Classes start from 10.00 a.m. and may continue up to 5.00 p.m. Students are advised to come to the Institute by 9.50 a.m. to attend the classes.

- 2. Every student must carry his or her Identity card inside the campus. Any violation of this will lead disciplinary action.
- 3. Students must help to keep the institute campus neat and clean.
- 4. Use of Mobile phones during the lectures is strictly prohibited. Any violation of this will lead disciplinary action.
- 5. Students are expected to read notices/circulars displayed on the notice board.
- 6. Spitting, smoking and throwing bits of paper in the premises should be avoided.
- 7. Misuse or unauthorized use of the institute premises or items of property, including computer misuse, Library misuse etc. should lead to disciplinary & penalize action.
- 8. Students should not involve in any kind of ragging activities. Any violation of this will lead to penal action as per the guidelines of the Supreme Court & any other Competent Authority from time to time.
- 9. All acts of violence and sexual harassment of any kind will lead to disciplinary action or penal action as per the competent authority.
- 10. Any other act which may be considered by the Principal/Teacher or any other College staff to be an act of violation of disciplines and conduct.
- 11. The teacher shall abide by The Code of Ethics/conduct laid down by College Education Rajasthan/Other Apex Bodies from time to time.
- 12. Institute believes in promoting a safe and efficient climate by enforcing behavioral standards. All students must uphold academic integrity, respect all persons and their rights and property and safety of others; etc.

Following activities are strictly prohibited

- 13 Intentionally damaging or destroying Institute property or property of other students and/or faculty members
- 14. Any disruptive activity in a class room or in an event sponsored by the Institute
- 15 Unauthorized possession, carrying or use of any weapon, ammunition, explosives, or potential weapons, fireworks, contrary to law or policy.
- 16 Unauthorized possession or use of harmful chemicals and banned drugs
- 17 Smoking on the campus of the Institute
- 18 Possessing, Consuming, distributing, selling of alcohol in the Institute and/or throwing empty bottles on the campus of the Institute.

- 19 Parking a vehicle in an o-parking zone or an area marked for parking of other types of vehicles
- 20 Rash driving on the campus that may cause any inconvenience to others is prohibited.
- 21 Students are expected not to interaction behalf of the Institute with media Representatives or invite media per sons on to the campus without the permission of the Institute authorities.
- 22 Students are not permitted to provide audio and video clippings of any activities on the campus to media without prior permission.

Punishment for Violation of Rules and Regulations:

The Competent Authority may impose any of the following punishments on any student if found guilty of any of the acts of indiscipline or misconduct and violation of Rules and Regulation of the institute.

- 1. Debarring from appearing university examination.
- 2. Deduction of Internal marks.
- 3. Expulsion from the institute.
- 4. Withholding results.
- 5. Lodging of FIR with the Police.
- 6. Anti Ragging is Criminal offence

Ragging Constitutes any of the following acts:

- 1. Any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling a fresher or any other student,
- 2. Indulging in indiscipline activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student,
- 3. Asking any student to do any act which such student will not do in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of that fresher or any other student,
- 4. Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person,

- 5. Any act or abuse by spoken words, emails, posts, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student.
- 6. Any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

Punishment for Violation of Rules and Regulations of Ragging:

- 1. Cancellation of admission,
- 2. Lodging of FIR with the Police,

Anti-Ragging Committee & Squad: Anti-Ragging Committee is established in the college. All the students are encouraged to approach them without any hesitation in case of ragging.

2 .Code of Conduct for Teachers:

All the faculty members are expected to display a good conduct so that the students consider their teachers as their role model. Following are the code of conduct for faculty members:

- 1. All faculty members must maintain high standards of punctuality, honesty and professional ethics.
- 2. Every faculty members shall discharge his/her duties efficiently & effectively as per the norms laid down by the College Education Rajasthan from time to time.
- 3. Every faculty members should report to the college at least 10 minutes before the commencement of Institute timing.
- 4. All faculty members must be enthusiastic in taking up the subjects allotted to them.
- 5. All faculty members should prepare a lesson/teaching plan, notes, and academic file well in advance before commencement of the classes.
- 6. Guardian faculty scheme must be followed and the GFM teacher should take proper care of his group of students by guiding, motivating, counseling and monitoring their attendance and performance.
- 7. Every faculty members should be responsible to conduct regular classes and practical and also take extra classes whenever necessary.
- 8. Every faculty members shall respect the right and dignity of the student in expressing his/her opinion.
- 9. Every faculty members shall deal impartially with students regardless of their religion, caste, economic, social and physical identity.

- 10. No faculty members shall act in any manner that violates the decorum or morality within the campus.
- 11. Every faculty members should work within the Govt./Institutional policies and practices so as to satisfy the vision and mission of the institute/Govt.
- 12. All faculty members must refrain from any from harassment or unlawful discrimination based on existing legislative norms relating to gender/sexuality/age/marital status.
- 3. Code of Conduct for Non-Teaching Staff:
- 13. Every staff members employed in the Institute shall discharge his/her duties efficiently and diligently as per the rules and regulations laid by the Govt. Of Rajasthan.
- 14. All Staff members should display the highest possible standards of professional behavior.
- 15. All Staff members should be punctual and discipline towards their work.
- 16. Every Staff members shall maintain the appropriate levels of confidentiality with respect to student and staff records and other sensitive matters.
- 17. Every Staff members should cooperate with students, colleagues & superiors.
- 18. All staff members should maintain the image of the institute through standards of dress, general courtesy, etc.
- 19. All the staff members should respect for the rights and opinions of others.
- 20. Every staff members should follow all norms and job details assigned by the College Education Rajasthan from time to time with full dedication.
- 21. All Staff members must refrain from any form of harassment or unlawful discrimination based on existing legislative norms relating to caste/gender/sexuality/age/marital status.

Violations of code of conduct by the Teaching & Non-teaching staff are subject to Disciplinary action, Show Cause Notice, Memo, Enquiry Committee etc or any other action as per the Competent Authority.